

राजस्थान सरकार  
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : प्रशि. / म. स्वा.कार्य. / 2018-19 / 2018 /

दिनांक :

निदेशक,  
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,  
सचिवालय, जयपुर।

विषय : महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण में प्रवेश हेतु विज्ञप्ति के प्रकाशन बाबत्।

महोदय,


उपरोक्त विषयान्तर्गत इस निदेशालय की विज्ञप्ति क्रमांक : प्रशि. / म.स्वा.कार्य. / 1342/1343 2018-19 / 2018 / दिनांक 12/6/18 की 10 प्रतियां संलग्न कर लेख है कि इनका राज्य के सभी प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने का श्रम करें।

संलग्न — दस।

३८  
(राकेश शर्मा)  
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : प्रशि. / म. स्वा.कार्य. / 2018-19 / 2018 / 1344 दिनांक : 12/6/18  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं —:

1. निजी सचिव, मा. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, मा. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदया, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आशय का प्रेरणा नोट आप अपने स्तर से जारी करवाने का श्रम करें।
6. रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर।
7. प्रभारी सर्वर कंक्ष, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त संक्षिप्त एवं विस्तृत प्रवेश विज्ञप्ति को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने की व्यवस्था करावें।
8. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को संक्षिप्त एवं विस्तृत प्रवेश विज्ञप्ति की प्रति संलग्न कर लेख है कि इनको आपके कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगवाने का श्रम करावें।
9. नोटिस बोर्ड, मुख्यालय।

  
(राकेश शर्मा)  
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक: प्रशि./ म.स्वा.कार्य./ 2018-19 / 2018/1342

दिनांक: 12/6/18

“संक्षिप्त विज्ञप्ति”

(महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सत्र 2018-19 में प्रवेश हेतु संक्षिप्त विज्ञप्ति)

इस निदेशालय के अधीन संचालित राजकीय स्कूल्स में सत्र 2018-19 महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए दिनांक 15.06.2018 से दिनांक 15.07.2018 (सायं 6:00 बजे) तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन हेतु पात्रता/योग्यता की प्रमुख शर्तें निम्नानुसार हैं :—

1.	शैक्षणिक योग्यता	माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर से सीनियर सैकेण्डरी परीक्षा अथवा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा जारी अनुदेशिका के अनुसार अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड की इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
2.	आयु (31.12.2018)	आयु दिनांक 31.12.2018 को 17 वर्ष से कम तथा 34 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग (MBC) के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की नियमानुसार छूट देय है।
3.	सीटों की संख्या	1590 सीटे
4.	आरक्षण	अन्य पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों के लिये 21 प्रतिशत, अनुसूचित जाति के लिये 16 प्रतिशत एवं अनुसूचित जनजाति के लिये 12 प्रतिशत स्थान आरक्षित है एवं अति पिछड़ा वर्ग (MBC) के लिए एक प्रतिशत आरक्षण देय होगा। राजस्थान राज्य के आरक्षित वर्ग को ही नियमानुसार आरक्षण देय होगा। (प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें/ओ.वी.सी. का प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक पुराना ना हो।) भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 19.05.2018 के अनुसार अनुसूचित खण्डों के स्थानीय अनुसूचित जनजातियों एवं अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों आरक्षण देय होगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, विधायिका, तलाकशुदा एवं निःशक्तजन अभ्यर्थियों, विभागीय चतुर्थ श्रेणी महिला अभ्यर्थियों को विस्तृत विज्ञप्ति के अनुसार आरक्षण देय होगा।
5.	पाठ्यक्रम की अवधि	प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की अवधि आईएनसी के नये सिलेबस (छठा संस्करण 2012) के अनुरूप 2 वर्ष (18 माह + 6 माह इन्टर्नशिप) होगी।
6.	स्टाईपेंड	चयनित अभ्यर्थियों को नियमानुसार स्टाईपेंड देय होगा।
7.	चयन प्रक्रिया	चयन जिला स्तरीय मेरिट के अनुसार जिला मुख्यालय पर काउंसलिंग द्वारा होगा। सत्र आरम्भ होने की सम्भावित तिथि 1 अक्टूबर, 2018 है।
8.	आवेदन शुल्क	संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, के नाम देय 20/- रुपये (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए निःशुल्क) का पोस्टल आर्डर आवेदन शुल्क के रूप में संलग्न करना आवश्यक है।
9.	विस्तृत विज्ञप्ति तथा आवेदन प्रपत्र	विस्तृत विज्ञप्ति तथा आवेदन प्रपत्र विभागीय वैबसाइट <a href="http://www.rajswasthya.nic.in">www.rajswasthya.nic.in</a> पर उपलब्ध है।
10.	आवेदन पत्र किस पते पर	आवेदन पत्र संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जो उस जिले के प्रशिक्षण केन्द्र के प्रभारी अधिकारी है, के कार्यालय में दिनांक 15.07.18 को सायं 6:00 बजे तक प्रस्तुत किये जा सकते हैं। (आवेदन पत्र रजिस्टर्ड/साधारण डाक/स्पीड पोस्ट/व्यक्तिशः भिजवाये जा सकते हैं।)

नोट :- अधिक जानकारी हेतु कृपया बिन्दू संख्या - 09 अनुसार विस्तृत विज्ञप्ति विभागीय वैबसाइट पर देखें।

(राकेश शर्मा)  
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार  
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक: प्रशि. / म.स्वा.कार्य. / 2018-19 / 2018/१३४३

दिनांक: 12/6/18

—:: विस्तृत विज्ञप्ति ::—

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर के अधीन संचालित 33 राजकीय महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्रों में सत्र 2018-19 हेतु प्रारम्भ होने वाले महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (2 वर्ष, जिसमें 6 माह की इन्टर्नशिप भी शामिल है) में प्रवेश हेतु योग्य महिला अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र (Application form) आंमत्रित किये जाते हैं। आवेदन करने की तिथि 15.06.2018 से अन्तिम तिथि 15.07.2018 निर्धारित है। आवेदन पत्र के साथ दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियां संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, के नाम देय 20/- रुपये (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए निःशुल्क) का पोस्टल आर्डर आवेदन शुल्क के रूप में संलग्न करना आवश्यक है। आवेदन पत्र रजिस्टर्ड/साधारण डाक/स्पीड पोस्ट/व्यक्तिशः भिजवाये जा सकते हैं।

**(A.) शैक्षणिक योग्यता :-**

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर से सीनियर सैकेण्डरी परीक्षा अथवा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा जारी अनुदेशिका के अनुसार अन्य मान्यता प्राप्त बोर्डों की इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

**(B.) प्रशिक्षण अवधि :-**

प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की अवधि आईएनसी के नये सिलेबस (छठा संस्करण 2012) के अनुरूप 2 वर्ष (18 माह + 6 माह इन्टर्नशिप) होगी। प्रशिक्षण सत्र आरम्भ होने की सम्भावित तिथि 1 अक्टूबर, 2018 है।

**(C.) आयु :-**

आयु दिनांक 31.12.2018 को 17 वर्ष से कम तथा 34 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग (MBC) के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की नियमानुसार छूट देय है। (जन्मतिथि के प्रमाण हेतु सैकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण की अंकतालिका/प्रमाण पत्र मान्य होगा।)

**(D.) आरक्षण :-**

1. अन्य पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों के लिये 21 प्रतिशत, अनुसूचित जाति के लिये 16 प्रतिशत एवं अनुसूचित जनजाति के लिये 12 प्रतिशत रथान आरक्षित है एवं अति पिछड़ा वर्ग (MBC) के लिए एक प्रतिशत आरक्षण देय होगा। राजस्थान राज्य के आरक्षित वर्ग को ही नियमानुसार आरक्षण देय होगा। (प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें/ओ.बी.सी., अति पिछड़ा वर्ग (MBC) का प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक पुराना ना हो।)
2. अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों को भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 19.05.2018 के अनुसार बांसवाडा, झूंगरपुर, प्रतापगढ़ जिले को पूर्ण एवं उदयपुर जिले की कोटड़ा, झाडोल (तत्कालीन फलासिया), लसाडिया, सलूम्बर, सराडा, खैरवाडा, ऋषभदेव एवं गोगुन्दा तहसील तथा गिर्वा तहसील, मावली तहसील के आंशिक ग्राम व वल्लभ नगर तहसील के आंशिक ग्राम, राजसमन्द जिले की कुम्भलगढ़ एवं नाथद्वारा तहसील के आंशिक ग्राम व चित्तौड़गढ़ जिले तहसील बड़ी सादडी के आंशिक ग्राम व पाली जिले में बाली तहसील की ग्राम पंचायतों एवं सिरोही जिले की कुछ पंचायतों को अनुसूचित खण्ड माना गया है, के अनुसार आरक्षण देय होगा। (एनेकजर - 'ए')

3. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, विधवाओं एवं तलाकशुदा एवं निःशक्तजन अभ्यर्थियों, विभागीय चतुर्थ श्रेणी महिला अभ्यर्थियों को क्षैतिज आधार (होरिजेन्टल बेसिस) पर आरक्षण देय होगा।

- पांच वर्ष का कार्य अनुभव एवं निर्धारित योग्यता वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अभ्यर्थियों के लिये 15 प्रतिशत।
- मिलेट्री/पेरा मिलेट्री/ पुलिस मृतक कर्मियों की विधवाओं के लिए 3 प्रतिशत।
- विधवाओं एवं तलाकशुदा अभ्यर्थियों के लिये 2 प्रतिशत।
- विकलांग श्रेणी ओ०एल० (एक टांग) अभ्यर्थियों के लिये 3 प्रतिशत।
- आवेदन की अंतिम तिथि तक न्यूनतम 5 वर्ष की नियमित सेवा तथा अधिकतम 35 वर्ष की आयु की विभागीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महिला अभ्यर्थियों के लिये 15 प्रतिशत, लेकिन ऐसे अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण में चयन के बाद नियमानुसार अवकाश लेना होगा।

4. झूंगरपुर एवं बांसवाड़ा प्रशिक्षण केन्द्र पर राज्य सरकार कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 07.11.1996 के अनुसार झूंगरपुर/बांसवाड़ा पूरे जिले एवं उदयपुर व सिरोही जिले के अनुसूचित खण्डों के स्थानीय जनजातिय अभ्यार्थियों का 45 प्रतिशत तथा स्थानीय अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों का 5 प्रतिशत आरक्षण होगा तथा शेष 50 प्रतिशत सीटे सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये होगी। बारां प्रशिक्षण केन्द्र पर नियमानुसार सहरिया अभ्यर्थियों को आरक्षण दिया जावेगा। (अधिसूचित क्षेत्रों की सीटों में प्रवेश संबंधी आरक्षण के नियम राज्य सरकार के नवीनतम दिशा निर्देशानुसार मान्य होंगे।) महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र, बांसवाड़ा एवं झूंगरपुर जिले में कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 04.07.2016 के अनुसार आरक्षण देते हुए टीएसपी क्षेत्र के अभ्यार्थियों को ही प्रवेश दिया जा सकेगा अन्य जिलों के अभ्यार्थियों को प्रवेश नहीं दिया जावेगा।

5. कार्मिक (A-Gr-II) विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन क्रमांक : एफ7(1)डीओपी/ए-11/2017 दिनांक 21.12.2017 के अनुसार अति. पिछड़ा वर्ग (MBC) को एक प्रतिशत आरक्षण देय होगा। अति. पिछड़ा वर्ग (MBC) अभ्यार्थियों को अति. पिछड़ा वर्गका सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र वांछित दस्तावेजों के साथ संलग्न करना होगा अन्यथा अभ्यार्थी को उसकी श्रेणी का लाभ देय नहीं होगा।

“Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the section 4 of the Rajasthan Backward Classes (Reservation of Seats in Educational Institutions in the State of Appointments and Posts in Services under the State) Act 2017, (Act No. 38 of 2017), the State Government hereby, against the aforesaid background, notify that reservation of the appointments and posts in the services under the State for More Backward Classes shall be 1% of the appointments and posts in services under the State. “

#### (E.) चयन प्रक्रिया :-

1. चयन में राजस्थान के मूल निवासी अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जावेगी, जिसके लिये सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये मूल निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करना आवश्यक है।
2. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान अजमेर से सीनियर सैकण्डरी अथवा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त उत्तीर्ण परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा पूर्णतया मेरिट के आधार पर जिलेवार, श्रेणीवार मेरिट सूचियां तैयार की जाकर संबंधित संयुक्त निदेशक, जोन से प्रमाणित करवायी जावेगी। संयुक्त निदेशक, जोन से प्रमाणित श्रेणीवार मेरिट सूचियां निदेशालय को भेजी जावेगी। तत्पश्चात् निदेशालय के निर्देशन में आरक्षण की श्रेणीवार वरियता के आधार पर चयन किया जावेगा। काउंसलिंग हेतु पृथक से तिथि निर्धारित कर इसकी सूचना समाचार पत्रों/विभागीय वैबसाईट [www.rajswasthya.nic.in](http://www.rajswasthya.nic.in) पर उपलब्ध करा दी जावेगी।

3. मेरिट सूची/चयन सूची मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कार्यालय एवं संबंधित जिला परिषद, कार्यालय में उपलब्ध रहेगी तथा चयनित अभ्यर्थी को पत्र द्वारा भी सूचित किया जावेगा।
4. चयनित अभ्यर्थियों को उनके चयन से संबंधित प्रशिक्षण केन्द्र पर निर्धारित समय सीमा में अपने मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थिति देनी होगी अन्यथा चयन आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे।
5. चयनित अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेज संबंधित प्रशिक्षण केन्द्र प्रभारी के पास रहेंगे और उनका संबंधित बोर्ड/संस्थान से सत्यापन हो जाने पर ही लौटाये जा सकेंगे। यदि सत्यापन के दौरान किसी अभ्यर्थी के कोई दस्तावेज फर्जी पाये जावेंगे तो तत्काल प्रशिक्षण से पृथक करते हुये ऐसे अभ्यर्थी के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि कोई अभ्यर्थी चयन के समय गर्भवती पाई जाती है तो उसके आगामी बैच में विना पुनः आवेदन किये प्रशिक्षण में सम्मिलित किया जावेगा, बशर्ते अभ्यर्थी चयन की शेष शर्तों के अनुसार पूर्ण पात्रता रखती हो।
7. चयन के संबंध में प्रस्तुत अभ्यावेदन/प्रतिवेदन का निस्तारण इस निदेशालय के निर्देशों के अध्यधीन होगा।
8. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी काउंसलिंग का समय प्रातः 9:30 से सांय 2:00 बजे तक का ही निर्धारित रखेंगे।

स्टाईफण्ड – चयनित अभ्यर्थियों को नियमानुसार स्टाईफेंड देय होगा।

प्रशिक्षण के नियम : प्रशिक्षणार्थी की उपस्थिति की अनिवार्यता/अवकाश/पाठ्यक्रम एवं अन्य शर्तें जो समय – समय पर राज्य सरकार / इस निदेशालय या राजस्थान नर्सिंग कौसिल द्वारा निर्धारित की जावेगी, का पालना करना अनिवार्य होगा।



(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,

राजस्थान, जयपुर

भाग – अ

कृपया अपने से संबंधित बॉक्स पर (✓) का चिन्ह अंकित करें।

स्वयं का पासपोर्ट  
साईज का हस्ताक्षरित  
फोटो चिपकाए।

क्र.सं.	परीक्षा का नाम (सीनियर सैकेण्डरी)	बोर्ड/ विविद्यालय का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष	रोल नम्बर	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रांतीकों का प्रतिशत
---------	---	-----------------------------	-----------------------------	-----------	----------	------------	--------------------------

1. अभ्यर्थी का जाति वर्ग  
 सामान्य ( )      अनुसूचित जाति ( )      अनुसूचित जनजाति ( )  
 अन्य पिछड़ी जाति ( )      टीएसपी (एस.टी) ( )      टीएसपी (एस.सी) ( )  
 अति पिछड़ा वर्ग (MBC) ( )      सहरिया ( )
2. क्या अभ्यर्थी निःशक्तजन (OL अर्थात् एक पैर से) श्रेणी में प्रवेश चाहती है :— हा ( ) नहीं ( )  
 (प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है)
3. क्या अभ्यर्थी विभागीय महिला चर्तुथ श्रेणी कर्मचारी है :— हा ( ) नहीं ( )  
 (यदि हाँ तो भाग "स" को भरना अनिवार्य है)
4. क्या अभ्यर्थी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है :— हा ( ) नहीं ( )  
 (यदि हाँ तो भाग "स" को भरना अनिवार्य है)
5. क्या मिलेट्री/पैरा मिलेट्री/ पुलिस मृतक कर्मियों के विधवा/अन्य श्रेणी की विधवा/  
 तलाकशुदा है :— हा ( ) नहीं ( )  
 (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है)      यदि हाँ तो श्रेणी का  
 नाम लिखें .....
6. आवेदन शुल्क विवरण :— पोस्टल आर्डर नम्बर ..... दिनांक ..... राशि  
 (रु.) ....

भाग – ब

1. अभ्यर्थी का नाम (हिन्दी में) .....
2. अभ्यर्थी का नाम (अंग्रेजी कैपीटल अक्षरों में) .....
3. पिता का नाम (हिन्दी में) .....
4. पिता का नाम (अंग्रेजी कैपीटल अक्षरों में) .....
5. पति का नाम (हिन्दी में) .....
6. पति का नाम (अंग्रेजी कैपीटल अक्षरों में) .....
7. जन्म तिथि ..... / ..... / ..... (प्रमाण पत्र संलग्न करें)
8. दिनांक 31.12.2018 को आयु ..... वर्ष ..... माह ..... दिन .....
9. दूरभाष ..... / मोबाइल नं. ....
10. ई-मेल— आई डी .....
11. वर्तमान पता .....
12. स्थायी पता .....

हस्ताक्षर आवेदक

भाग – स

(केवल विभागीय महिला चर्तुथ श्रेणी कर्मचारियों/ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए)

- |                        |                                 |                 |
|------------------------|---------------------------------|-----------------|
| 1. नाम अभ्यर्थी .....  | 2. पिता /पति का नाम .....       | 3. पद नाम ..... |
| 6. नियुक्ति तिथि ..... | 5. वर्तमान पदस्थापन स्थान ..... | 6. जिला .....   |

हस्ताक्षर आवेदक

उपरोक्त विवरण कार्यालय रिकार्ड अनुसार सही है।

हस्ताक्षर  
नियुक्ति /प्रशासनिक अधिकारी मय  
कार्यालय मोहर

भाग – द घोषणा

मैं ..... पुत्री/पत्नी श्री ..... घोषणा  
करती हूँ कि आवेदन पत्र में दिए गए उपरोक्त विवरण एवं संलग्न पत्रादि मेरी जानकारी में पूर्णत सत्य है,  
तथा मैंने कोई तथ्य छिपा नहीं है।

संलग्न :— सत्य प्रतिलिपि का विवरण :—

दिनांक :—

स्थान :—

हस्ताक्षर आवेदक